# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

1– अपील संख्या 10 / 2014

गुरदर्शनसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति ज़टसिख निवासी ज्वालासिंहवाला हाल वार्ड नं. 37 हनुमानगढ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ। —— अपीलांट

बनाम

1. रवि मल्हान पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हनुमानसिंह पुत्र कुम्भाराम जाति सुथार निवासी वार्ड नं. 13 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
4. उप पंजीयक सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट्स

2– अपील संख्या 111 / 2014

देवेन्द्र चाण्डक पुत्र मगनलाल जाति महेश्वरी निवासी हनुमानगढ टाउन, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

—— अपीलांट

बनाम

1. रवि मल्हान पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हनुमानसिंह पुत्र कुम्भाराम जाति सुथार निवासी वार्ड नं. 13 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
4. उप पंजीयक सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज. का.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 05.12.2013

उपस्थितिः–
श्री भागीरथ बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट
श्री राकेश मनचन्दा , अभिभाषक रेस्पों.
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 14.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो.सं0 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष रा0का0अ0 की धारा 88, 92ए, 188 व 209 के तहत पेश कर कथन किया कि वादीगण को चक उदयपुर मुसलमान के प.न. 95/8 के कि.न. 1 से 14 की 3.542है0 व प.न. 95/6 के कि. न. 24, 25 की 0.506 है0 व चक 4 केएसएल के प.न. 95/14 के कि.न. 10, 11 की 0.506 है0, 19 की 0.101 है0, 20 की 0.152 है0, 21 की 0.253 है0 व प. न. 95/15 के कि.न. 1, 10, 11, 20 की 1.012 है0 कुल 6.072 है0 भूमि में वादी सं. 1 को 3/4 हिस्सा व वादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा का हिस्सेदार व खातेदार घोषित करने एवं वादीगण को बेदखल न करने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया ।

वाद पेश होने पर प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार राज ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखकर वाद का निर्णय किया जावें ।

वाद एवं जबाब दावे के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित सात वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 05.12.2013 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने ये दोनों अपीलें पेश की है। चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही उदयपुर मुसलमान के ख.न. 68/2 मिन में ऐसा पत्नी नूरदीन, कालेखां, यूसफअली, लियाकत के नाम 6.072 है0 भूमि दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी जिसमें से उनके द्वारा 3.036 है0 भूमि ख.न. 68/2 मिन के पूर्वी हिस्सा उत्तर –दक्षिण दिश में कविता अग्रवाल को जरिये बैयनामा दिनांक 03.02.2009 को बेचान कर दी और कब्जा

14/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सौंप दिया एवं कविता द्वारा उक्त रकबा का बेचान जरिये बेयनामा 19.07.2010 को गिरधारीलाल आदि को कर दिया एवं गिरधारीलाल आदि द्वारा उक्त भूमि का बेचान जरिये बैयनामा गुरदर्शनसिंह व ज्ञानसिंह को दिनांक 08.02.2012 को कर कब्जा सौप दिया, जिस पर अपीलार्थी गुरदर्शनसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने गलत तथ्य पेश कर अधी.न्यायालय में वाद पेश किया एवं अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार रोही उदयपुर मुसलमान के ख.न. 68 मिन में 6.325 है0 भूमि टीसी पर फलकू को आवंटन थी जो पुख्ता आवंटन के पश्चात कब्जा काश्त में थी। फलकू द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 20.2.2009 को सावरमल व विष्णु को ब.हि.ब. बेचान कर कब्जा मौका पर खरीदददार को सौंप दिया। विष्णु द्वारा अपना 1/2 हिस्सा की भूमि अपीलांट को जरिये बेयनामा दिनांक 23.5.2011 को विक्रय कर कब्जा सौप दिया एवं वर्तमान में कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपील संख्या 111/14 में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुऐ अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्ते किया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने जरिये बैयनामा भूमि क्रय करना बताया है एवं विवादित भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताया है। कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा अधी.न्यायालय द्वारा पारित आदेश में जो तनकीवार निर्णय किया है किसी भी तनकी के निर्णय को गलत नहीं बताया है एवं न ही तनकीयात के निर्णय के सम्बन्ध में कोई जिक्र किया है। वकील रेस्पो. ने अपील संख्या 10/2014 में प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश किया एवं कथन किया कि अपीलार्थी ने उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष एक वाद सं.

14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

132/2014 गुरदर्शनसिंह बनाम हनुमानसिंह पेश कर रखा है जो जैरकार है जिसके तथ्य अपीलांट ने न्यायालय से छिपाये है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2016 को स्वीकार होकर प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही अपीलें खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

दोनों ही अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका जबाव रेस्पो. द्वारा पेश कर खंडन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलें पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील संख्या 111/2014 आदेश दिनांक 5.12.2013 के विरूद्ध दिनांक 10.12.2014 को पेश की गई है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर खण्डन नहीं किया गया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील संख्या 10/14 में वकील रेस्पो. ने प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश करने पर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2016 को स्वीकार किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने रेस्पो. के विरूद्ध इसी भूमि के सम्बन्ध में वाद पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। इस तथ्य को अपीलांट ने अपनी अपील में उजागर नही किया और न ही इस तथ्य से इन्कार किया कि अपीलार्थी द्वारा अधी. न्यायालय में वाद पेश नहीं किया गया है। इससे प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि पक्षकारों के मध्य अधी.न्यायालय में विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है।

अपील संख्या 10/2014 गुरदर्शनसिंह बनाम रवि मलहान व अपील संख्या 111/2014 देवेन्द्र चाण्डक बनाम रवि मलहान अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के एक ही निर्णय दिनांक 5.12.2013 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा रेस्पो. की खरीदशुदा भूमि का काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया है जिसे अपीलांट द्वारा भू-प्रबन्ध

14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विभाग द्वारा तैयार किये मिलान क्षेत्रफल एवं अधी.न्यायालय द्वारा किये घोषणात्मक दावे में अपीलांट का हित नकारात्मक रूप से प्रभावित होने से अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के निर्णय के लिए तनकियात कायम की जिसके सिलसिलेवार विवेचन कर सभी तनकियात बहक वादी/रेस्पों. के पक्ष में निर्णित कर दावा डिक्री किया है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों के किसी भी बिन्दु में किसी भी तनकी के विनिश्चय के बारे में न केवल कोई आपत्ति की अपितु जिक्र तक नहीं किया ।

प्रकरण हाजा का सार बिन्दु यह है कि अधी.न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराऐ 88, 92ए, 188, 209 का दावा गुणावगुण के आधार पर डिक्री किया है जबकि अपील का सार जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल तैयार किया है उसकी त्रुटियां इस अपील के जरिये दुरस्त करने का अनुतोष चाहा है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में अनुतोष उपलब्ध होने से चाराजोही के विकल्प को मध्यनजर रखकर इन अपीलों में विचारणीय नहीं होने से अपीलें खारिज की जाती है एवं अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

6 अपील

# डिक्री व सीगे अपील

( ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

गुरदर्शनसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला हाल वार्ड नं. 37 हनुमानगढ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ। -- अपीलांट

बनाम

1. रवि मल्हान पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हनुमानसिंह पुत्र कुम्भाराम जाति सुथार निवासी वार्ड नं. 13 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
4. उप पंजीयक सूरतगढ। --रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या 10/2014 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरतगढ मुर्ख्ख 05 माह 12 सन् 2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 14 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री राकेश मनचन्दा एवं श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X . ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.11.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)